



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1518 / अका. / सम्बद्धता / 2014

रायपुर, दिनांक : 10 / 10 / 2014

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 के अनुमोदनानुसार अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय (नए विषय एवं सीट वृद्धि) एवं सत्र के लिए अवस्थाई सम्बद्धता राशत प्रदान की जाती है:-

| क्र. | कक्षा/विषय                                                | छात्र संख्या | सत्र    |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1.   | 1. B.B.A. - I                                             | 30           | 2014-15 |
| 2.   | 2. D.C.A.                                                 | 30           |         |
| 3.   | 3. M.S.W. (Prev.)                                         | 20           |         |
| 4.   | 1. B.Com. - I<br>(पूर्व संचालित सीट 64) (सीट वृद्धि - 30) | 94           |         |

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक/2088 /2174/ 2011/38-2 दिनांक 17.06.2011 के द्वारा नवीन B.B.A. पाठ्यक्रम, पत्र क्रमांक/2084 /1531/ 2012/38-2 दिनांक 07.06.2012 के द्वारा नवीन D.C.A. पाठ्यक्रम एवं B.Com-I में सीट वृद्धि तथा पत्र क्रमांक/1976/ 2013/38-2 दिनांक मई 2013 के द्वारा नवीन M.S.W. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
- परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

आदेशानुसार,  
उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 1519 / अका. / सम्बद्धता / 2014  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 10 / 10 / 2014

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेंस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

CERTIFIED TRUE COPY

PRINCIPAL

AGRASEN MAHAVIDYALAYA  
PURANI BASTI, RAIPUR (C.G.)

उप कुलसचिव (अका.)